न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)

मुकदमा नं0 :- 119/2017

दायर दिनांक :- 04.12.2017

उनवान

1. अर्जुन पुत्र श्योनन्दा
2. देवकरण पुत्र श्योनन्दा
3. मानसिंह पुत्र श्योनन्दा
4. जयराम पुत्र श्योनन्दा

} जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाल तहसील दौसा जिला दौसा

– (वादीगण)

बनाम

1 कंचन पुत्र छोटू जाति गुर्जर निवासी खैरवाल तहसील दौसा।

2 स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल मर्ज एसबीआई शाखा नांगल बैरसी जरिये शाखा प्रबंधक।

3 दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा दौसा जरिये शाखा प्रबंधक।

4 राजस्थान राज्य सरकार तहसीलदार दौसा।

– (प्रतिवादीगण)

उपस्थितिः– 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री रामेश्वर प्रसाद बैरवा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:16:42 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आरटी एक्ट

:: निर्णय ::

दिनांकः 02/02/21

वकील मय वादीगण ने एक वाद दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की ग्राम खैरवाल तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा नम्बर 1711 रकबा 2.01 है0, खसरा नम्बर 1713/224 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1725 रकबा 0.59 है0, खसरा नम्बर 1727 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 1728 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 1729 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 1730 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 1731 रकबा 1.11 है0, खसरा नम्बर 1732 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1931 रकबा 0.94 है0 एवं खसरा नम्बर 1934 रकबा 0.72 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 6.88 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात भूमि के 3/5 हिस्से खातेदार व काबिज काश्तकार वादीगण है एवं 2/5 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी नम्बर 1 है।

उक्त वाद में वकील वादी ने वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया हैः-

1. डिक्री तकास्मा इस प्रकार प्रदान करें की ग्राम खैरवाल तहसील दौसा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1711 रकबा 2.01 है0, खसरा नम्बर 1713/224 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1725 रकबा 0.59 है0, खसरा नम्बर 1727 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 1728 रकबा 0. 27 है0, खसरा नम्बर 1729 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 1730 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 1731 रकबा 1.11 है0, खसरा नम्बर 1732 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1931 रकबा 0.94 है0 एवं खसरा नम्बर 1934 रकबा 0.72 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 6.88 है0 के वादीगण के 3/5 हिस्से का सरस-नरस के आधार पर तकास्मा फरमाकर वादीगण के दोनो चको का खाता तथा लगान अलग कायम करने की कृपा करें।

2. प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने की कृपा करे कि वाके ग्राम खैरवाल तहसील दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1711 रकबा 2.01 है0, खसरा नम्बर 1713/224 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1725 रकबा 0.59 है0, खसरा नम्बर 1727 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 1728 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 1729 रकबा 0.48 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.07.22 17:16:42 IST
Reason: SelfAttested

,खसरा नम्बर 1730 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 1731 रकबा 1.11 है0, खसरा नम्बर 1732 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1931 रकबा 0.94 है0 एवं खसरा नम्बर 1934 रकबा 0.72 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 6.88 है0 के वादीगण के 3/5 हिस्से के कब्जे काश्त वादीगण में प्रतिवादी नम्बर 1 स्व्यं अपने एजेन्टों नौकरो रिश्तेदारो से कोई दखल नही पहुंचावे तथा किसी विशिष्ट हिस्से को किसी दीगर को विक्रय नही करें तथा किसी विशिष्ट हिस्से पर निर्माण कार्य नही करें।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सम्मन जारी किय गये। प्रतिवादी नम्बर 1 की तरफ से अधिवक्ता रामेश्वर प्रसार बैरवा ने वकालतनामा पेश किया तत्पश्चात यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट खैरवाल में दिनांक 18.05.2018 पेश हुई। उस समय वादीगण ने न्यायालय कैम्प कोर्ट में तकास्मा हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने के लिए निवेदन किया। न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को ग्राम खैरवाल तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1711 रकबा 2.01 है0, खसरा नम्बर 1713/224 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1725 रकबा 0.59 है0, खसरा नम्बर 1727 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 1728 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 1729 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 1730 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 1731 रकबा 1.11 है0, खसरा नम्बर 1732 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1931 रकबा 0.94 है0 एवं खसरा नम्बर 1934 रकबा 0.72 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 6.88 है0 भूमि के कुर्रेजात तैयार कर भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांकः कोर्ट/2018/5112 दिनांक 01.06.2018 के द्वारा तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी की गई जिसकी पालना में तहसीलदार दौसा के द्वारा कुर्रेजात तैयार कर उनके पत्रांक भू0अ0/2018/10762 दिनांक 18.12.2018 के द्वारा बिना तहसीलदार के हस्ताक्षर के इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पुनः तहसीलदार दौसा के हस्ताक्षारार्थ इस न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/2019/399 दिनांक 03.07.2019 के द्वारा मूल ही प्रेषित कर दिये गये। कार्यालय तहसीलदार दौसा के पत्रांक भू0अ0/2019/6984 दिनांक [illegible]0.07.2019 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट को अपने हस्ताक्षर से सत्यापित कर इस न्यायालय को दिनांक 11.07.2019 को निम्न प्रकार से पेश किये गयेः-

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:16:42 IST
Reason: SelfAttested

वादीगणः-

	ख.नं.	रकबा	किस्म जमीन	लगान
1. अर्जुन पुत्र श्योनन्दा हि0 1/4 बिना रहन, देवकरण पुत्र श्योनन्दा हि0 1/4 राहिन एसबीआई शाखा नांगल बैरसी, मानसिंह पुत्र श्यानन्दा हि0 1/4 राहिन दौ.के.सह. बैंक लि. शाखा दौसा, जयराम पुत्र श्यानन्दा हि. 1/4 राहिन एसबीआई शाखा दौसा कौम गुर्जर खातेदार <u>रंग-लाल</u>	1711	2.01	नहरी	30.15
	1725	0.59	चाही 3	14.75
	1728/2	0.12	चाही 3 जाव 3	2.50 0.26
	1731	0.58	चाही 3	14.50
	1931/2	0.47	बा. I	4.23
	1934/2	0.36	बा. I	3.24
	6	4.13		69.63

प्रतिवादीगणः-

	ख.नं.	रकबा	किस्म जमीन	लगान
1. कंचन पुत्र छोटू कौम गुर्जर सा. देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा नांगल बैरसी <u>रंग-पीला</u>	1727	0.26	जाव 3 चाही 3	0.63 5.25
	1728/1	0.15	चाही 3 जाव 3	3.00 0.37
	1729	0.48	चाही 3	12.00
	1730	0.37	चाही 3	9.25
	1731	0.53	चाही 3	13.25
	1732	0.05	चाही 3	1.25
	1713/2024	0.08	नहरी	1.20
	193[illegible]	0.47	बा. I	4.23
	1934/[illegible]	0.36	बा. I	3.24
	9	2.75		53.67

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:16:42 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार दौसा द्वारा पेश कुर्रेजात रिपोर्ट किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नही की गई। हमने पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में दर्ज पक्षकारान की खातेदारी हिस्से व कुर्रेजात रिपोर्ट का मिलान किया गया राजस्व रिकार्ड में कुर्रेजात रिपोर्ट खसरा नम्बर 1711 रकबा 2.01 है0, खसरा नम्बर 1713/224 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1725 रकबा 0.59 है0, खसरा नम्बर 1727 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 1728 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 1729 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 1730 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 1731 रकबा 1.11 है0, खसरा नम्बर 1732 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1931 रकबा 0.94 है0 एवं खसरा नम्बर 1934 रकबा 0.72 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 6.88 है0 में पक्षकारान के खातेदारी हिस्से के अनुसार सही पायी गई है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य है।

:: आदेश ::

वाद वादीगण तहसीलदार दौसा द्वारा पेश कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस दिनांक 11.07.2019 के मुताबिक खसरा नम्बर 1711 रकबा 2.01 है0, खसरा नम्बर 1713/224 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1725 रकबा 0.59 है0, खसरा नम्बर 1727 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 1728 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 1729 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 1730 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 1731 रकबा 1.11 है0, खसरा नम्बर 1732 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1931 रकबा 0.94 है0 एवं खसरा नम्बर 1934 रकबा 0.72 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 6.88 है0 भूमि वाके ग्राम खैरवाल तहसील दौसा के 3/5 हिस्से के खातेदार वादीगण व 2/5 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी नं0 1 के मध्य तकास्मा किया जाकर अलग-अलग खाताबन्दी की जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व नक्शा में तितम्बा काटे जाकर अलग-अलग लगान कायम करने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादी नं0 1 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त खसरा नम्बरान के वादीगण के 3/5 हिस्से के कब्जे काश्त में कोई दखल नही पहुंचावे तथा किसी विशिष्ट हिस्से को किसी दीगर को विक्रय नही करें तथा किसी विशिष्ट हिस्से पर निर्माण कार्य नही करें। कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस तैयार दिनांक 10.07.2019 तथा पेश दिनांक 11.07.2019 इस अंतिम डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 02/02/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:16:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर दौसा
जिला दौसा

सहायक कलक्टर
दौसा (जिला दौसा)